10/3/25

पत्रावली पक्षों के लिये पेश हुई। अलग-
फैसला पारित किया आंशिक स्वीकार
किया जाता है। डिक्री मुताबिक फैसला
के मिसल शामिल किया गया बाद
पावती हो। रेकॉर्ड में दर्ज हो।

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2021/195

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सुरस्ती वगैरा बनाम सुशीला देवी वगैरा

किस्म मुकदमा:–88 व 48 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्या:–177/2021 (GCMS No. 2021/195)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10·03·2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि पति/पिता ख्यालीराम पुत्र कानाराम के नाम से रोही सांवलसर के खसरा नं. 9 में 4.048 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि दर्ज है। वादीगण के पति/पिता की जाति जाट है। जो कि जैरवाद भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2041 ता 44 में सही जाति जाट अंकित है। जैरवाद भूमि की जमाबंदी में वादीगण के पिता/पति ख्यालीराम की जाति सहवन से जाट के बजाय नायक दर्ज कर दी गई है। जिस वादीगण दर्ज करवाने का हकदार है। वादीगण के पति/पिता का देहान्त हो चुका है। हम उनकी मृत्यु उपरान्त खातेदार कृषक घोषणा करवने के हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से रोही सांवलसर के खसरा संख्या 667/1 में 5.312 हैक्टर खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को अपने पति/पिता जगदीश पुत्र सुरजाराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। वादीगण के पति/पिता ख्यालीराम व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पति/पिता ने अपनी–अपनी भूमि का विनियम कर कब्जा एक–दुसरे को सौंप दिया था। इस सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 10.10.1984 को डिक्री किया जाकर मुताबिक राजीनामा आदेश दिया गया था। किन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हो सका। वर्तमान में ख्यालीराम व जगदीश के वारिसान भी पूर्व में राजीनामा के मुताबिक भूमि का विनियम आपस में करवाना चाहते है। अतः वाद वादीगण स्वीका किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अभिभाषक ने इकबाल दावा के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई उज्र व एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 सहमत है। पक्षकरान के तर्क सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया। वादीगण के पति/पिता ख्यालीराम पुत्र कानाराम के नाम से रोही सांवलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 9 में 4.048 हैक्टर बारानी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पति/पिता ख्यालीराम की जाति जाट है। जो जैरवाद भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2041 ता 44 में दर्ज है। वादीगण के पति/पिता ख्यालीराम के देहान्त के उपरान्त वादीगण जैरवाद भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से वाके रोही सांवलसर के खसरा नं. 667/1 में 5.312 हैक्टर खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के पिता/पति एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 4 पति/पिता द्वारा आपस में की जाने वाली भूमि एक समान नही है। विनियम को क्षेत्राधिकार तहसीलदार को है। वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु वादीगण तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। वादीगण के पिता की जाति राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन [illegible] रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा तहसील सूरतगढ़ [illegible] वलसर के खसरा नं. 9 में 4.048 हैक्टर बारानी [illegible] जाति नायक के स्थान पर जाट दर्ज [illegible] अंकन यथावत् रहेगें। विनियम हेतु तहसीलदार [illegible] करने हेतु स्वतंत्र है। जमाबंदी में इसी अनुसार दर्ज किया जावें। परचा [illegible] जारी की जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10·03·2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

सूरतगढ –:: अनवान ::–

1. सुरस्ती पत्नी
2. देवीलाल पुत्र
3. हरदयाल पुत्र
4. जगमाल पुत्र
5. रेशम पुत्र
6. किताब पुत्री
7. तुलसी पुत्री

स्व0 श्री ख्यालीराम पुत्र श्री कानाराम अकवाम जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. सुशीला देवी पत्नी
2. जयप्रकाश शर्मा पुत्र
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र
4. चन्द्रशेखर पुत्र

स्व0 श्री जगदीश अकवाम ब्राह्मण निवासी सांवलसर हाल सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र धारा–88,48 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 177 वर्ष 2021 (GCMS 2021/195) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी व वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 श्री संजय कुमार शर्मा तथा राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा तहसील सूरतगढ़ की रोही सांवलसर के खसरा नं. 9 में 4.048 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि में ख्यालीराम पुत्र कानाराम जाति नायक के स्थान पर जाट दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। शेष अंकन यथावत् रहेगें। विनियम हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। जमाबंदी में इसी अनुसार दर्ज किया जावें।

नोज......ग......मुबलिग......ग......बाबत......ग......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......ग...... फस्दों की पालना......ग......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक [illegible].03.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)